पत्रांक–13/वि003–34/2016–.....

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

आर0के0महाजन,
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक...../

विषयः महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018 तैयार की गयी है (प्रति संलग्न)। इसे पत्र निर्गत की तिथि से लागू किया जाता है।

2. इस संबंध में अंकित करना है कि इस मार्गदर्शिका के लागू होने से पूर्व के सभी निदेश जो इससे भिन्न एवं इतर/विरोधी होंगे, निरसित समझे जाएँगे।

3. विभाग के स्तर से पत्रांक 1743 दिनांक 08 अगस्त, 2016 द्वारा टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवियों का चयन अस्थायी तौर पर स्थगित रखा गया था, को निरस्त करते हुये निदेश दिया जाता है कि संलग्न मार्गदर्शिका, 2018 के आलोक में रिक्त पदों पर चयन एवं नियोजन किए जाएँगे।

4. यह मार्गदर्शिका, 2018 की सेवाशर्त्तें पूर्व से कार्यरत टोला सेवक/शिक्षा सेवियों पर भी लागू होगी।

अनुरोध है कि अपनी देख–रेख में जिले के रिक्त स्थानों पर चयन/नियोजन का कार्य मार्गदर्शिका, 2018 के अनुसार शीघ्र कराया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
(आर0के0महाजन)
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1570 पटना, दिनांक– 23/07/18

प्रतिलिपि :– निदेशक, जन शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में चयन एवं नियोजन की कार्रवाई की जाए।

20/7/18
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

E:\Anupam\Letter\P. Secretary Letter.doc

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018

जन शिक्षा निदेशालय

तृतीय मंजिल, कमरा सं0–351, विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना।

निदेशक
जन शिक्षा निदेशालय
पटना

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018

1. प्रस्तावना :–

(i) मानव के संतुलित शारीरिक, बौद्विक और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा हमें हर प्रकार के बंधनों–गरीबी, बीमारी, कुरीतियों, शोषण, उत्पीड़न, भेद–भाव आदि से आजादी दिलाती है। अच्छी शिक्षा पाकर हम बंधनों से बाहर निकल कर अपने को सशक्त बनाते हैं और योग्य नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं।

(ii) 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.82 % है और महिलाओं में 53.53 % मात्र। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास से नामांकन 99% तक पहुँच गया है, परन्तु आठवीं कक्षा तक पहुँचते–पहुँचते बड़ी संख्या में बच्चों का छीजन (Drop out) हो जाता है। **वर्ष 2009 में बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम** (Right to Free and Compulsory Education Act. 2009) लागू हुआ। इसी क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा **अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011** बनायी गई। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना हमारा दायित्व है। साक्षरता और शिक्षा में पिछड़ेपन के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय एवं वर्ग में शिक्षा और साक्षरता बिहार के लिए चुनौती है।

(iii) शिक्षा में कमी, जनसंख्या वृद्धि, बाल–विवाह, कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारणों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिस घर में माता शिक्षित हैं वहाँ पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। वहाँ बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में बेहतर उपलब्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए संबंधित समुदाय के विकास के लिए माताओं का कार्यात्मक रूप से साक्षर होना आवश्यक है।

(iv) हमारे समाज में बाल–विवाह, दहेज प्रथा, विभिन्न प्रकार के नशे का सेवन, महिलाओं के प्रति गैर–बराबरी का दृष्टिकोण एवं सामाजिक तथा आर्थिक आधार पर शोषण या भेद–भाव जैसी अनेक सामाजिक बुराइयाँ व्याप्त हैं। इन सब को दूर कर ही हम एक विकसित, सुशिक्षित, ज्ञानमूलक एवं समता–मूलक समाज बना सकते हैं।

निदेशक
जन शिक्षा बिहार
पटना

(v) उपर्युक्त पृष्ठभूमि में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना का आरंभ 2012–13 में किया गया। इस योजना से अपेक्षा है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग में साक्षरता (विशेषकर महिला साक्षरता) में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और इस वर्ग एवं समुदाय के बच्चे गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में सफल होंगे। यह योजना इन समुदायों एवं वर्गों की महिलाओं और बच्चों को साक्षर और शिक्षित करते हुए उन्हें मुख्यधारा में शामिल कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा करेगी। यह योजना महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उत्थान एवं उत्प्रेरण का कार्यक्रम है।

2. टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का कार्य एवं दायित्व :– महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग में साक्षरता, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिये टोला सेवक एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में काम करेंगे। उनका प्रमुख कार्य इस समुदाय के लोगों को साक्षर होने और शिक्षित बनने के लिये प्रेरित करना, तथा उन्हें सरकार द्वारा चलाये जा रहे साक्षरता, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की योजनाओं से जोड़ना है। इनके कार्यों एवं दायित्वों को निम्नांकित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है:–

(क) (i) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी निर्धारित टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे। उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत् या उससे अधिक बनाये रखने के लिये एवं छीजन कम करने के लिये काम करेंगे। इनकी भूमिका सुगमकर्त्ता (Facilitator) एवं प्रेरक (Motivator) की होगी।

(ii) टोले के बच्चों को जमा कर प्रारंभिक तैयारी कराकर प्रतिदिन एक साथ विद्यालय ले जायेंगे। विद्यालय प्रधान से सम्पर्क कर सबों के नामांकन एवं सीखने की व्यवस्था विद्यालय में करायेंगे। चेतना सभा में एवं आरंभ में दो घंटे विद्यालय में रहकर बच्चों को विद्यालय में दी जा रही शिक्षा के साथ जुड़ने में सहयोग करेंगे।

(iii) उपर्युक्त कार्य के लिये सर्वे द्वारा बच्चों की बाल पंजी एवं असाक्षर वयस्क महिलाओं/माताओं की पंजी तैयार करना, विद्यालय में नामांकन कराना, बच्चों को टोला से एक साथ विद्यालय पहुँचाना, कक्षा में बच्चे मुख्यधारा के साथ हों एवं सीखने के लिए तैयार हों इसके लिए कार्य करना, विद्यालय के पूर्व बच्चों के लिये कोचिंग कक्षा का संचालन करना, समय–समय पर बच्चों की काउन्सलिंग करना, विद्यालय के शिक्षकों एवं अभिभावकों से नियमित संपर्क रखना उनके कार्य में शामिल होगा।

निदेशक
जन शिक्षा निदेशालय
पटना

(ख) (i) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी अपने टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय आरंभ होने से पहले विद्यालय के लिए तैयार करेंगे, कोच (coach) करेंगे। इसके साथ ही वे 15 से 35 आयु वर्ग की असाक्षर महिलाओं को दोपहर में एक घंटे तक पढ़ाने का एवं बाद में टोलों में सम्पर्क का कार्य भी करेंगे। विद्यालय संचालन के समय में परिवर्त्तन होने पर एवं ग्रीष्मावकाश व लम्बी छुट्टियों में पढ़ाने के समय में परिवर्त्तन आवश्यकतानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता द्वारा किया जा सकेगा।

(ii) निर्धारित टोले के असाक्षर महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना एवं बच्चों के सीखने की उपलब्धि की जानकारी माताओं को देना इनका दायित्व होगा।

(ग) सरकार की विकास योजनाओं, समाज सुधार के कार्यक्रमों से टोले के लोगों को परिचित कराना एवं जागरूक करना इनका कार्य होगा। टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी अपने–अपने कार्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, आपदा प्रबंधन आदि विभागों एवं लाभुकों के बीच कड़ी का काम करेंगे। गांव/टोला के प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार के स्तर से दी जानेवाली सुविधाओं की जानकारी देना तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें नियमानुसार सभी व्यक्ति को प्राप्त हो इस हेतु प्रयास करना उनसे अपेक्षित होगा।

(घ) समय–समय पर जन शिक्षा निदेशालय द्वारा आवंटित शिक्षा, साक्षरता, जन जागरण एवं सामाजिक कुरीतियों में सुधार के कार्य उनके द्वारा किए जाएँगे।

चयन की प्रक्रिया

3. रिक्ति का निर्धारण एवं चयन ।–

(क) (i) पूरे राज्य के लिए टोला सेवक (20,000) एवं शिक्षा स्वयंसेवियों (10,000) की संख्या निर्धारित है। यह जिलावार आबादी के आधार पर आवंटित की गई है जिसे अनुलग्नक 'क' में दर्शाया गया है। यह संख्या जिले के लिए निर्धारित बल हैं। इस संख्या से अधिक का चयन/नियोजन अवैध होगा। निर्धारित संख्या में भी रिक्ति की कोटि स्वीकृत बल के अनुरूप होगी।

(ii) किस टोले में केन्द्र खोला जाये इसके लिए आवश्यक है कि पूरे जिले के सर्वे के आधार पर दलित– महादलित बाहुल्य एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग बाहुल्य टोलों की सूची अधिकतम संख्या से घटते क्रम की

ओर प्रखण्डवार तैयार की जाएगी। जिले में उपलब्ध सांख्यिकी एवं अन्य विभागों के संबंधित आँकड़ों से भी इस कार्य में सहयोग लिया जा सकता है। टोलों की संख्या की तुलना में निर्धारित इकाई कम है। अतएव सर्वप्रथम अधिक संख्या वाले टोले में टोला सेवक/स्वयंसेवी का चयन किया जाएगा। यह क्रम अधिक से कम की ओर होगा। सर्व प्रथम चयन का स्थान, चयन की कोटि (टोला सेवक या स्वयंसेवी महिला या पुरूष) निर्धारित किया जाएगा। इस सूची पर जिला पदाधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(iii) 60 वर्ष के उम्र के पूर्व के यदि कार्यरत टोला सेवक/स्वयंसेवी की मृत्यु हो जाती है या पद–मुक्ति या त्याग या अन्य कारणों से रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्तियों पर चयन प्रक्रिया आरंभ करने के पूर्व जिला पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv) यदि रिक्त स्थान पर पूर्व के कार्यरत टोला सेवक/स्वयंसेवी एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा दे चुके हैं तो यह स्थान आबादी क्रम में दूसरे टोले को देते हुए वहाँ नियोजन किया जायेगा। अर्थात्, जिस स्थान पर पद रिक्त हुआ है वहाँ एक साल की सेवा पूर्व के टोला सेवक/स्वयंसेवी द्वारा किए जाने की स्थिति में रिक्ति उस टोले की नहीं मानी जाएगी। यह रिक्ति प्रखण्ड की होगी एवं जिस टोले में आवश्यकता (महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग की आबादी के आधार पर घटते क्रम में निर्धारित सूची के आधार पर) के बावजूद केन्द्र नहीं दिया जा सका था, वहाँ के लिए इकाई आवंटित करके चयन की कार्रवाई होगी।

(ख) जिलों में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय की जनसंख्या की बहुलता के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप चिन्हित टोले में उसी समुदाय से एक टोला सेवक/शिक्षा सेवी का चयन किया जायेगा। टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा।

4. चयन हेतु योग्यता :–

(क) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। उच्चतर योग्यताधारी को चयन में किसी प्रकार का अतिरिक्त अधिमानता देय नहीं होगी।

निदेशक
जन शिक्षा निदेशालय
पटना

(ख) मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्त अंक के प्रतिशत एवं अनुभव अंक जोड़कर अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा। साक्षरता, शिक्षा या सरकार की किसी योजना में कम से कम छः माह या उससे अधिक समय तक काम करने एवं मानदेय/वेतन/प्रबोधन राशि प्राप्ति प्रमाण के आधार पर मेधा सूची में अतिरिक्त अंक अनुभव के इस प्रकार दिये जायेंगे–

(i) 6 माह से 1 वर्ष कार्य करनेवाले के लिये 5 अंक।

(ii) 1 वर्ष से अधिक के लिये 10 अंक।

(iii) अनुभव के 10 अंक अधिकतम होंगे। मैट्रिक या समकक्ष के प्राप्तांक प्रतिशत में जोड़कर मेधा सूची तैयार की जायेगी। गैर सरकारी क्षेत्र के कार्य के लिये एवं जिन कार्यों में मानदेय या वेतन या प्रबोधन भुगतान का प्रमाण नहीं होगा, अनुभव अंक देय नहीं होगा।

(ग) आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष की होगी। उम्र की गणना नियोजन वर्ष के 01 अगस्त को आधार मानकर की जाएगी।

(घ) आवेदक महादलित, दलित या अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग परिवार से होगा। चिह्नित टोलों में जिस महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा कोटि की बहुलता होगी उसी कोटि के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

(ड़) सभी जिलों में टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी की स्वीकृत संख्या अनुलग्नक 'क' में प्रतिवेदित है। जिस समूह में रिक्ति होगी उसी समूह से चयन द्वारा भरा जाएगा अर्थात् टोला सेवक की रिक्ति होने की स्थिति में टोला सेवक का तथा शिक्षा स्वंयसेवी की रिक्ति होने की स्थिति में शिक्षा स्वयंसेवी का चयन किया जाएगा।

(च) जिस टोला से टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन पत्र (अनुलग्नक 'ख') प्राप्त कर चयन किया जाएगा।

(छ) आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना आवश्यक होगा।

जन शिक्षा निदेशालय
पटना

5. चयन :–

(क) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का नियोजन अनुबंध के आधार पर किए जाने हेतु संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाएगा। समिति गठन हेतु पहल सदस्य–सह–संयोजक द्वारा किया जायेगा :–

क्र०	पद	ग्रामीण क्षेत्र	सं0
i	अध्यक्ष	संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य	1
ii	सदस्य–सह–संयोजक	संबंधित वार्ड के पोषक विद्यालय या टोला से निकटतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक (एक से अधिक विद्यालय होने के स्थिति में वरीय प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक)	1
iii	चार स्थानीय सदस्य	जिस टोले में चयन होना है वहाँ के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में टोले की आम सभा में संबंधित समुदाय (महादलित/दलित/अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग) के चयनित चार सदस्य जिनमें से दो महिला अनिवार्य रूप से सदस्य के रूप में रहेंगी।	4 (2 महिला अनिवार्य)
iv	सदस्य	संबंधित पंचायत के निर्वाचित अनुसूचित जाति महिला सदस्य	1
v	सदस्य	चयनित होनेवाले टोले की जीविका दीदी (यदि चयन होनेवाले वार्ड में जीविका दीदी नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका द्वारा उसी पंचायत से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा। पंचायत स्तर पर जीविका दीदी उपलब्ध नहीं रहने पर प्रखंड से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।)	1
vi	सदस्य	संबंधित प्रखण्ड के के0आर0पी0	1
		कुल संख्या	9

(ख) निर्धारित/स्वीकृत बल की रिक्ति के विरूद्ध स्थान (टोला) एवं संख्या (50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए निर्धारित करते हुए), का अनुमोदन जिला पदाधिकारी से लेने के पश्चात् नियोजन की कार्रवाई आरंभ होगी। सूचना प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर 21 दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी। इसे कम से कम निम्नांकित 5 सार्वजनिक स्थलों के नोटिस बोर्ड पर अवश्य चिपकाया जायेगा एवं उनके कार्यालय प्रधान को प्रचारार्थ एक प्रति प्राप्त करायी जायेगी:–

(i) प्रखण्ड प्रमुख कार्यालय (ii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय (iii) प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, (iv) जिस पंचायत में चयन किया जाना है उसके सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (v) जिस पंचायत के लिए चयन किया जाना है उसके पंचायत भवन। नियोजन का सम्पूर्ण कार्यक्रम जिले की सरकारी (NIC) वेबसाईट् पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

निदेशक
जन शिक्षा निदेशालय
पटना

(ग) आवेदन सदस्य–सह–संयोजक (चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक) के पास जमा किया जायेगा। आवेदन प्राप्ति की रसीद आवेदक को दी जाएगी।

(घ) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी चयन में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय की महिला को 50% कोटा अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

(ड़) मेधा अंक की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी एवं इसे प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर प्रकाशित कराया जायेगा एवं आपत्तियों को आमंत्रित किया जायेगा। आपत्तियों के निराकरण के उपरांत ही अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी।

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	कोटि (दलित/महादलित/अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा	महिला/पुरूष	जन्म तिथि	पूर्णांक	मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव अंक	योग (9+10)	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

आपत्ति आमंत्रण हेतु औपबंधिक मेधा सूची (प्रपत्र–ग) प्रकाशन के पश्चात् एक सप्ताह का समय निर्धारित होगा एवं आपत्ति प्राप्ति के अंतिम दिवस से तीन दिनों के भीतर आपत्ति का निराकरण करते हुए अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रकाशित मेधा सूची अगले कार्य दिवस को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी जिसे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदित करते हुए संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक– घ) में नियोजन पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी।

(च) समान मेधा अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता, समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार चयन किया जाएगा।

(छ) चयनोपरांत सभी टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवियों का पाँच दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके नाम से नियोजन पत्र निर्गत हो किन्तु पाँच दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण में योगदान नहीं किये हों और न ही 5 दिनों तक प्रशिक्षण प्राप्त किये हो, उन्हें अनुपस्थित मानते हुए मेधा सूची के अगले क्रम के अभ्यर्थी को नियोजन पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

निदेशक
जन शिक्षा निदेशालय
पटना

(ज) नियोजन हेतु निर्मित पैनल मात्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। किसी ठोस कारण से यदि पैनल से नियोजन नहीं हो पाया तो एक वर्ष बाद नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।

(झ) चयनित अभ्यर्थियों के योगदान के उपरांत संयोजक के द्वारा उनके शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरांत सही पाए जाने पर ही मानदेय भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध संयोजक द्वारा कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

(ञ) चयन पर दावा/आपत्ति होने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों तक प्रथम अपील किया जा सकता है। प्रथम अपील में जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंदर ऐसे द्वितीय अपील का निष्पादन किया जायेगा।

6. मानदेय :–

(क) प्रत्येक टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को प्रतिमाह रु0 8000.00 (आठ हजार) मात्र मानदेय संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) कार्यालय से भुगतान उनके आधार संबद्ध (Seeded) खाते में ही आर0टी0जी0एस0 या अन्य निर्धारित बैंक की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। मानदेय का भुगतान प्रधानाध्यापक द्वारा के0आर0पी0 को उपलब्ध करायी गयी ऋणात्मक विवरणी (Negative Statement) के आधार पर किया जायेगा। टोला सेवक एवं शिक्षा स्वंयसेवियों की अनुपस्थिति की दशा में प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक गत माह में अनुपस्थित दिवस की गणना के साथ के0आर0पी0 को विवरणी उपलब्ध करा दी जाएगी एवं के0आर0पी0 द्वारा 10 तारीख तक ऋणात्मक सूची जिला कार्यालय साक्षरता को जमा की जाएगी। ऋणात्मक सूची नहीं देने की स्थिति में टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित मानते हुए मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा। भुगतानोपरांत यदि तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी भी प्रकार का गलत भुगतान हुआ है तो उनके अगले माह के मानदेय से कटौती की जायेगी। दोषपूर्ण विवरणी देने के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक/के0आर0पी0 जवाबदेह होंगे एवं उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

निदेशक
जन शिक्षा निदेशालय
पटना

(ख) सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत आश्रित को 4.00 लाख रु0 की अनुग्रह राशि एकमुश्त देय होगी। निम्नांकित प्रमाण के साथ निदेशालय को समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर ही अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा :–

(I) चिकित्सक/अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र।

(II) मृत्यु तिथि तक टोला सेवक के पद पर कार्यरत थे, इस आशय का प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र।

(III) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता (वंशावली) प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(iv) मृतक एवं आश्रित के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति।

(v) कार्यपालक दंडाधिकारी से कानूनी वारिस संबंधी शपथ–पत्र की मूल प्रति।

(vi) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा निदेशालय को अनुशंसा।

7. टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवक की छुट्टी ।–

टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को वर्ष में 12 (बारह) दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। महिलाओं को 90 (नब्बे) दिनों का मातृत्व अवकाश प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यह सुविधा मात्र दो बच्चों तक ही देय होगी। वर्ष में अधिकतम 30 (तीस) दिनों का अवैतनिक अवकाश गंभीर स्वास्थ्य समस्या या अन्य विशेष परिस्थिति में प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा देय होगा। ग्रीष्मावकाश एवं अन्य बड़ी छुट्टियों में विद्यालय पहुँचाने का कार्य स्थगित रहेगा, परन्तु कोचिंग क्लास एवं माताओं को पढ़ाने का कार्य जारी रहेगा। केवल रविवार/उर्दू विद्यालय के लिए शुक्रवार के दिन तथा महत्वपूर्ण पर्व–त्योहारों के दिन (जिसमें टोला के लोग शामिल होते हों) कोचिंग एवं माताओं के शिक्षण का कार्य स्थगित रहेगा।

8. प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण ।–

(क) चयनित टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवियों के लिये 05 (पाँच) दिनों का प्रारंभिक प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण का आयोजन किया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात् नियोजन–पत्र का वितरण किया जायेगा। इसके पश्चात् ही केन्द्र पर कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। बिना प्रशिक्षण कार्य करना या लेना अवैध माना जाएगा। विद्यालय में योगदान के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा निर्गत नियोजन–पत्र के साथ–साथ प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निदेशक
अन शिक्षा निदेशालय
पटना

(ख) टोला सेवकों/स्वयंसेवकों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व के विकास के लिये समय–समय पर आकलन करते हुए उपचारात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

9. कार्यस्थल/कार्यक्षेत्र में परिवर्तन :–

(i) सम्पूर्ण बिहार में महादलित, दलित, अल्पसंख्यकों के टोले हजारों की संख्या में हैं। परन्तु, इस कार्यक्रम में केन्द्रों की अधिकतम स्वीकृत संख्या 30 हजार (20 हजार टोला सेवकों के लिए एवं 10 हजार शिक्षा स्वयंसेवियों लिए) है। जो कार्य इन्हें टोले में आवंटित हैं वह 2 वर्ष के अधीन भली भाँति पूरा किया जा सकता है। यदि कोई टोला सेवक इसे 2 वर्ष में नहीं कर पाते हैं तो उन्हें एक वर्ष के समय का विस्तार उसी टोले में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। इसके बाद भी लक्ष्य (80 प्रतिशत) पूरा नहीं होने की स्थिति में उन्हें अयोग्य मानते हुए उनकी सेवा–मुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी इन निर्णयों के लिये टोला के विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रतिवेदन, वार्ड सदस्य के प्रतिवेदन, माताओं की राय, के.आर.पी. के प्रतिवेदन पर स्वयं के तथ्यात्मक निरीक्षण के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेंगे एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को प्रेषित करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) प्राप्त प्रस्ताव के समीक्षोपरांत प्रक्रिया का पालन करते हुए सेवा मुक्ति का आदेश दे सकेंगे।

(ii) एक टोले में टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी 2 वर्षों तक कार्य करेंगे। दो वर्ष से पूर्व दूसरे टोले के लिए स्थल परिवर्तन नहीं होगा। उनसे यह अपेक्षा है कि उस टोले के लिए निर्धारित लक्ष्य को भली–भाँति 2 वर्ष के अन्दर प्राप्त कर लेंगे। अधिकतम तीन वर्ष तक कार्य की अनुमति होगी। कार्यस्थल के पंचायत के अन्दर दूसरे टोले में महादलित/दलित/अतिपिछड़ा अल्पसंख्यकों की आबादी के आधार पर अधिक संख्या वाले टोले में क्रमानुसार उन्हें प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के प्रस्ताव पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता द्वारा प्रतिनियोजित किया जाएगा। नये प्रतिनियोजन स्थल में उन्हें 2 से 3 वर्ष कार्य करना होगा। इस क्रम में सभी टोला आच्छादित होने पर एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रतिनियोजन दूसरे पंचायत में किया जाएगा। स्थान परिवर्त्तन का निर्णय वर्ष के अप्रैल या मई माह में लिया जाएगा ताकि शैक्षिक वर्ष के आरंभ से कार्य करने का अवसर मिले।

निदेशक
जन शिक्षा बिहार
पटना

10. नियोजन की अवधि एवं नियोजन समाप्त करने की प्रक्रिया :–

(i) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का नियोजन 60 (साठ) वर्ष की उम्र सीमा तक कार्य किये जाने हेतु किया जायेगा। किसी कारण शरीर से पूरी तरह अक्षम या कार्य करने लायक नहीं रहने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की जाँच के पश्चात् उन्हें 60 वर्ष से पूर्व सेवा मुक्त किया जा सकेगा।

(ii) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे। ये मानदेय पर कार्यरत कार्यक्रम के संविदा कर्मी होंगे।

(iii) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा, कारण पृच्छा के बाद, प्रक्रिया का पालन कर मुखर आदेश से टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को निम्नांकित स्थितियों में नियोजन समिति के निर्णयानुसार सेवा–मुक्त किया जा सकेगा :–

(क) 30 दिनों से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने पर/आदतन अनुपस्थिति।

(ख) तीन या तीन से अधिक निरीक्षण/अनुश्रवण में यह प्रमाणित होने पर कि टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी कार्य के प्रति पूरी तरह लापरवाह हैं।

(ग) आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या अनैतिक आचरण करने या दलगत राजनीति में शामिल होकर चुनाव लड़ने की घटना प्रमाणित होने पर।

(घ) शराब पीने, शराब बेचने, बाल–विवाह करने, दहेज लेना प्रमाणित होने पर।

(ड़) 30 (तीस) दिन से अधिक बिना सूचना एवं बिना ठोस कारण के अनुपस्थित रहना प्रमाणित होने पर।

(च) समाज–विरोधी या अराजकतावादी गतिविधियों में शामिल होने या कुकृत्य करना प्रमाणित होने पर।

निदेशक
जन शिक्षा निदेशालय
पटना

(iv) नियोजन समाप्ति के विरूद्ध प्रथम अपील 15 दिनों के अंदर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिवार्य रूप में 15 दिनों के अंदर अपील का निष्पादन करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर जिला पदाधिकारी के समक्ष 15 दिनों के अंदर द्वितीय अपील किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर द्वितीय अपील का निष्पादन करेंगे।

11. इस मार्गदर्शिका के लागू होने से पूर्व के सभी निदेश, जो इससे भिन्न एवं इतर/विरोधी होंगे, निरसित समझे जायेंगे।

12. यह मार्गदर्शिका पूर्व से कार्यरत टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी पर भी लागू होगी।

13. इस मार्गदर्शिका में आवश्यकतानुसार संशोधन प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

निदेशक
जन शिक्षा निकेतन
पटना

***

राज्य के महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना अंतर्गत जिलावार उत्थान केन्द्र एवं तालीमी मरकज केन्द्रों की निर्धारित संख्या (As on 01.04.2018)

क्र0	जिला का नाम	साक्षरता केन्द्रों का लक्ष्य (प्रति केन्द्र एक व्यक्ति)		
		उत्थान केन्द्र (टोला सेवकों की संख्या)	तालीमी मरकज (शिक्षा स्वयंसेवी की सं0)	कुल
1	2	3	4	5
1	पटना	736	343	1079
2	भोजपुर	753	382	1135
3	बक्सर	82	60	142
4	रोहतास	687	307	994
5	कैमुर	255	89	344
6	नालंदा	509	128	637
7	मुंगेर	694	65	759
8	लखीसराय	201	26	227
9	जमुई	1068	123	1191
10	शेखपुरा	264	28	292
11	खगड़िया	555	95	750
12	बेगूसराय	216	227	443
13	नवादा	471	151	622
14	गया	2089	292	2381
15	जहानाबाद	205	55	260
16	अरवल	61	35	96
17	औरंगाबाद	1293	142	1435
18	सीवान	162	208	370
19	सारण	35	244	279
20	गोपालगंज	35	266	301
21	बांका	649	137	786
22	भागलपुर	471	306	777
23	कटिहार	826	736	1562
24	किशनगंज	183	533	716
25	अररिया	568	535	1103
26	पूर्णिया	371	500	871
27	वैशाली	204	187	391
28	मुजफ्फरपुर	416	402	818
29	सीतामढ़ी	208	411	619
30	शिवहर	74	58	132
31	पू0 चम्पारण	926	546	1472
32	प0 चम्पारण	755	468	1223
33	समस्तीपुर	1402	257	1659
34	दरभंगा	221	542	763
35	मधुबनी	1119	581	1700
36	सहरसा	291	158	449
37	सुपौल	98	218	316
38	मधेपुरा	747	159	906
	कुल	20000 (टोला सेवक)	10000 (शिक्षा स्वयं सेवी)	30000

निदेशक
जन शिक्षा बिहार
पटना

अनुलग्नक– ख

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी नियोजन हेतु आवेदन पत्र

क्रम सं0–

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा	आवेदक द्वारा भरा जाएगा
निर्धारित जाति बहुलता	(जिस पंचायत/वार्ड (शहरी के लिए आवेदन दिया जा रहा हैं उसका नाम)
आरक्षण (महिला)	टोला/पंचायत/वार्ड (शहरी) .....

पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. माता का नाम .....
4. जाति प्रमाण–पत्र .....
5. (क) जन्मतिथि दिन ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐
   (ख) उम्र (दिनांक 01.08.20..... को) वर्ष ☐☐ माह ☐☐ दिन ☐☐
6. स्थायी निवास
   (क) टोला/गांव/मुहल्ला .....
   (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) .....
   (ग) प्रखण्ड/नगर निकाय .....
   (घ) जिला ....., (च) राज्य ....., (छ) पिन कोड .....
   (ज) आधार सं0.....
   (झ) फोन/मोबाईल न0 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
7. शैक्षणिक योग्यता

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	कोटि (दलित/महादलित/अल्पसंख्यक पिछड़ावर्ग	महिला/पुरूष	जन्म तिथि	पूर्णांक	मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव अंक	योग (9+10)	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

घोषणा :– मेरी जानकारी और विश्वास में उपर्युक्त सूचनाएँ सत्य हैं। असत्य पाए जाने पर मेरा चयन रद्द कर मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान–
दिनांक –

आवेदक का पूरा नाम _____ हस्ताक्षर _____

नोट– आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज स्वयं अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें– 1. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र 2. आवासीय प्रमाण–पत्र 3. कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र। 4.अनुभव की अवधि में वेतन भुगतान का प्रमाण–पत्र। 5. जाति प्रमाण–पत्र।

✂----------✂----------✂

टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी नियोजन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती ....., पिता/पति श्री .....,
(क) टोला/गांव/मुहल्ला ..... (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) .....
(ग) प्रखण्ड/ नगर निकाय ..... (घ) जिला ..... का आवेदन पत्र टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी के नियोजन हेतु दिनांक ..... को प्राप्त किया। इन्होंनें पंचायत/वार्ड (शहरी) ..... प्रखण्ड/नगर निकाय ..... जिला ..... के लिए आवेदन दिया है जिसका क्र0 सं0 ..... है।

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर

निदेशक
जन शिक्षा बिहार
पटना

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना

टोला सेवक या शिक्षा स्वयंसेवी चयन : मेधा सूची प्रपत्र

टोला/पंचायत/वार्ड समूह स्तरीय प्रपत्र

प्रखण्डः पंचायतः– टोला/वार्डः – टोले में किस समुदाय की बहुलता है –

क्र0 सं0	आवेदक/आवेदिका का नाम	पिता/पति का नाम	महिला/पुरूष	जन्म तिथि	मैट्रिक या समकक्ष का पूर्णांक (अधिकतम अंक)	प्राप्तांक	अंको का प्रतिशत	अनुभव के आधार पर अंक	कुल अंक (8+9)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सदस्य–सह–संयोजक सदस्य सदस्य सदस्य अध्यक्ष

कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता).....।

पता – .....

पत्रांक– ..... दिनांक– .....

नियोजन–पत्र

श्री / श्रीमती : .....

पिता / पति का नाम : .....

ग्राम : ..... पोस्ट : .....

प्रखण्ड : ..... जिला : .....

आपको सूचित किया जाता है कि जन शिक्षा निदेशालय, पटना के पत्रांक– ..... दिनांक– ..... के आलोक एवं दिनांक ..... को प्रकाशित चयन सूची के आधार पर आपका चयन टोला सेवक / शिक्षा स्वयंसेवी के रूप में टोला..... एवं संबद्ध विद्यालय..... पंचायत..... प्रखंड..... जिला ..... में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर मानदेय आधारित नियोजन 'टोला सेवक / शिक्षा स्वयंसेवी' के रूप में किया जाता है :–

1. आप निर्धारित टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे। उनकी उपस्थिति 80 प्रतिशत् तक बनाये रखने का कार्य करेंगे तथा बच्चों को वर्ग सापेक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सहयोग करेंगे।
2. निर्धारित टोले के असाक्षर वयस्क महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करेंगे।
3. सरकार की विकास योजनाओं, समाज सुधार के कार्यक्रमों से टोले के लोगों का परिचय कराते हुए जागरूक करेंगे। आप अपने–अपने कार्य–क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रशासन एवं लाभुकों के बीच समन्वय करेंगे। समय–समय पर निदेशालय द्वारा आवंटित शिक्षा, साक्षरता एवं जन–जागरण के कार्य करेंगे।
4. आपका नियोजन 60 वर्ष की उम्र सीमा तक कार्य किये जाने हेतु किया गया है। किसी कारण शरीर से पूरी तरह अक्षम या कार्य करने लायक नहीं रहने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की जाँच के पश्चात् आपको 60 वर्ष से पूर्व सेवा–मुक्त किया जा सकेगा।
5. आप मानदेय पर कार्यरत कार्यक्रम के संविदा कर्मी होंगे। आप का नियोजन सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में किया गया है और आपका मुख्य दायित्व संदर्भित लोगों को शिक्षा एवं साक्षरता की मुख्य धारा में लाना है।
6. आपको निम्नांकित स्थितियों में कारण पृच्छा कर, प्रक्रिया का पालन करते हुये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता द्वारा सेवा–मुक्त किया जा सकेगा :–
   (क) 30 दिनों से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने पर / आदतन अनुपस्थिति। (ख) तीन या तीन से अधिक निरीक्षण / अनुश्रवण में यह प्रमाणित होने पर कि आप कार्य के प्रति पूरी तरह लापरवाह हैं। (ग) आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या अनैतिक आचरण करने या दलगत राजनीति में शामिल होकर चुनाव लड़ने की घटना प्रमाणित होने पर। (घ) शराब पीने, शराब बेचने, बाल–विवाह करने एवं दहेज लेना प्रमाणित होने पर। (ड़) 30 (तीस) दिन से अधिक बिना ठोस कारण अनुपस्थित रहना प्रमाणित होने पर। (च) समाज विरोधी या अराजकतावादी गतिविधियों में शामिल होने या कुकृत्य प्रमाणित होने पर।
7. आपने शपथ–पत्र द्वारा निर्धारित शर्त्तों के पालन की सहमति दी है।
8. सेवा अवधि में आपको प्रतिमाह 8,000 / – (आठ हजार) रु0 मानदेय संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) के कार्यालय से उपस्थिति एवं कार्य के आधार पर दिया जायेगा।
9. आपके द्वारा दी गयी जानकारी / प्रमाण–पत्र असत्य पाये जाने पर आपका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा एवं आपके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी की जायेगी।
10. प्रशिक्षण के पश्चात् आप कार्य हेतु योगदान करेंगे।

स्थान : .....

दिनांक : .....

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
साक्षरता

निदेशक
जन शिक्षा विहार
पटना

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी का शपथ पत्र

1. मैं ....., पुत्र/पुत्री .....,
जिला ....., प्रखण्ड..... पंचायत/वार्ड .....
..... के टोला ....., संबद्ध विद्यालय..... में
टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी के रुप में ईश्वर/खुदा को साक्षी मानकर यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं अपनी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने क्षेत्र के सभी 6–14 आयु के बच्चों को विद्यालय से जोड़कर गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कराऊँगा/कराऊँगी एवं वयस्क महिलाओं को साक्षर बनाऊँगा/बनाऊँगी। दलितों/महादलितों/अल्पसंख्यकों पिछड़ा वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार एवं लाभार्थी के बीच समन्वय काम करुँगा/करुँगी।

2. मैं अपने कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी भाई एवं बहनों को एक समान समझूँगा/समझूँगी और जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करुँगा/करुँगी।

3. मैं नशा मुक्ति अभियान को घर–घर तक पहुँचाऊँगा/पहुँचाऊँगी। इसके साथ ही दहेज–प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करूँगा/करूँगी।

3. मैं जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना एवं सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरी लगन, निष्ठा एवं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पूरा करूँगा/करूँगी एवं निर्धारित टोले के सर्वांगीण विकास में पूर्ण सहयोग दूँगा/दूँगी।

4. संविदा आधारित नियोजन की सभी शर्ते मुझे स्वीकार है।

5. मैं सरकारी सेवा का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक– ..... **पूरा नाम–** .....

स्थान – ..... **हस्ताक्षर–** .....

निदेशक
जन शिक्षा बिहार
पटना

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयसेवियों के चयन से संबंधित मेधा प्रतिवेदन

जिला का नाम – .....

प्रखण्ड का नाम – .....

पंचायत का नाम – .....

टोला/वार्ड का नाम – .....

क्र0	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मैट्रिक का पूर्णांक	मैट्रिक का प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव का अंक	मेधा अंक	अभ्युक्ति

प्रधानाध्यापक–सह– संयोजक

अध्यक्ष

निदेशक
जन शिक्षा बिहार
पटना